प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 00929/2025-2026

दिनांक 23/08/2025

कार्यालय सहायक निबन्धक सोसाइटी ... वाराणसी क्षेत्र वाराणसी
सत्यमेव जयते

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या: R/VAR/07108/2025-2026 पत्रावली संख्या:V-23280 दिनांक:2000-2001

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **माइक्रोटेक एजुकेशनल सोसाइटी, , प्रथम तल, निर्मल काम्पलेक्स, मलदहिया, जिला-वाराणसी, उ.प्र. 221001, वाराणसी, 221001** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 318/2000-01 दिनांक-19/08/2000 को दिनांक-19/08/2025 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है |

1000 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है |

Digitally Signed By
(ANOOP MISHRA)
5865CCCB5C4F1F87FE9E00D43BAF352A55AB91BA
Date: 23/08/2025 4:04:18 PM, Location: Varanasi.

जारी करने का दिनांक-23/08/2025

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश ।

:: नोट ::

यह नवीनीकरण प्रमाणपत्र संस्था के हित में निर्गत किया जा रहा है जो संस्था के अन्यथा विधिपूर्वक पंजीकृत रहने की दशा में ही मान्य हैं। इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र से किसी आवेदक, प्रबंध समिति अथवा किसी अन्य संबद्ध/असमबद्ध व्यक्तिके किसी दावे , अधिकार, अनुतोष अथवा मान्यता की पुष्टि नहीं होती है तथा इन प्रयोजनों हेतु इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र का प्रयोग किसी न्यायालय में मान्य नहीं है। इस प्रमाण पत्र को केवल संस्था हित में निर्गत किया जा रहा है तथा किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में यह पठनीय नहीं होगा।

संस्था द्वारा सिर्फ सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत होने के आधार पर ऐसे पाठ्यक्रमों का न तो संचालन किया जायेगा और न ही किसी उपाधि पर प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा। जिसका संचालन राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा विधि द्वारा स्थापित बोर्डो/विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाता है। पंजीकृत संस्थाओं को ऐसा करने के पूर्व राज्य सरकार/भारत सरकार से विधिवत अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(शासनादेश संख्या 1663/सत्तर–1–09, उच्च शिक्षा अनुभाग–1 दिनांक 06 अगस्त 2009 एवं रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0 1250–1262/लखनऊ दिनांक 28–8–2009 के अनुपालन में)

संख्या – ५०३ पत्रावली संख्या–V-23280 दिनांक 05/05/2026

रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के पता परिवर्तन
का
प्रमाण–पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

प्रमाण पत्र संख्या–318 / 2000–2001

नवीनीकरण संख्या– **R/VAR** / 07108 / 2025–2026

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि सोसाइटी ने जिसे आगे **माइक्रोटेक एजुकेशनल सोसाइटी, प्रथम तल, निर्मल काम्पलेक्स, मलदहिया, जिला वाराणसी –221001 उ0प्र0** कहा जाता था, अपने संस्था के पता में परिवर्तन किया गया है और सोसाइटी का पता **माइक्रोटेक एजुकेशनल सोसाइटी, गणेशपुर, तरना, जिला वाराणसी–221003 उ0प्र0** है, पता में उपुर्यक्त परिवर्तन को दिनांक **05–05–2026** को सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

जारी करने का दिनांक–**05–05–2026**

नवीकरण की वैधता की तिथि–**19–08–2030**

नवीकरण शुल्क–1000 / –रूपये

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

नोट–यह नवीनीकरण प्रमाण पत्र संस्था के हित में निर्गत किया जा रहा है जो संस्था के अन्यथा विधिपूर्वक पंजीकृत रहने की दशा में ही मान्य है। इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र से किसी आवेदक, प्रबन्ध समिति अथवा किसी अन्य सम्बद्ध / असम्बद्ध व्यक्ति के किसी दावे, अधिकार, अनुतोष अथवा मान्यता की पुष्टि नहीं होती है तथा इन प्रयोजनों हेतु इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र का प्रयोग किसी न्यायालय में मान्य नही है। इस प्रमाण पत्र को केवल संस्थाहित में निर्गत किया जा रहा है तथा किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में यह पठनीय नहीं होगा।

संस्था द्वारा सिर्फ सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत होने के आधार पर ऐसे पाठ्यक्रमों का न तो संचालन किया जायेगा और न ही किसी उपाधि पर प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा। जिसका संचालन राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा विधि द्वारा स्थापित बोर्डो/विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाता है। पंजीकृत संस्थाओं को ऐसा करने के पूर्व राज्य सरकार/भारत सरकार से विधिवत अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(शासनादेश संख्या 1663/सत्तर–1–09, उच्च शिक्षा अनुभाग–1 दिनांक 06 अगस्त 2009 एवं रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0 1250–1262/लखनऊ दिनांक 28–8–2009 के अनुपालन में)

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

IN-UP33518125689428Y

Certificate No.	:	IN-UP33518125689428Y
Certificate Issued Date	:	28-Apr-2026 07:37 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14163504/ VARANASI SADAR/ UP-VNS
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1416350462024491480358Y
Purchased by	:	SAHAYAK NIBANDHAK FIRM SOCIETY AND CHITS VARANASI
Description of Document	:	Article 24 Copy or Extract
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	SAHAYAK NIBANDHAK FIRM SOCIETY AND CHITS VARANASI
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	SAHAYAK NIBANDHAK FIRM SOCIETY AND CHITS VARANASI
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

Serial No. 4835
Name-R.K. Srivastava
CC Code:UP 14163504
Acc Add. Tehsil Sadar Varanasi
Licence No. 106/163/188
Signature.......

Please write or type below this line

यह [illegible] पेपर संख्या माइक्रोटेक एजुकेशनल सोसाइटी
जिला वाराणसी पंजीकरण सं० V-23280
............के साथ संलग्न है।
पंजीकृत प्रबन्ध समिति वर्ष 2026-27

सहायक निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स उ०प्र० ... क्षेत्र वाराणसी
सत्यमेव जयते

कृते सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी
12/05/2026

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

माइक्रोटेक एजुकेशनल सोसाइटी,

गणेशपुर तरना, जिला वाराणसी उ0प्र0—221003

प्रबन्ध समिति की सूची वर्ष :—2026—27

क्र.सं	नाम/पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय	मो0नं0
1.	श्री नीरज राजहंस पुत्र श्री दिनेश मोहन राजहंस	गणेशपुर, तरना जिला— वाराणसी उ0प्र0—221003	महासचिव/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO	समाजसेवा	9919500095
2.	श्री नागेन्द्र झा पुत्र स्व0 कालीकान्त झा	ग्राम हटिया, पोस्ट गाछी, जिला सहरसा, बिहार।	अध्यक्ष	समाजसेवा	9955072419
3.	श्रीमती सीमा राजहंस पुत्र श्री नागेन्द्र झा	प्लाट नं0—1 गणेशनगर कालोनी, गणेशपुर तरना शिवपुर, वाराणसी।	कोषाध्यक्ष	समाजसेवा	9795048000
4.	तान्या राजहंस पुत्री श्री नीरज राजहंस	प्लाट नं0—1 गणेशनगर कालोनी, गणेशपुर तरना शिवपुर, वाराणसी।	सदस्य	समाजसेवा	7393920000
5.	श्रीमती बेली देवी पत्नी स्व0 देव नारायण झा	ग्राम हटिया, पोस्ट गाछी, जिला सहरसा, बिहार।	सदस्य	समाजसेवा	9811610457
6.	श्रीमती सोनू पाण्डेय पत्नी श्री सुधीर कुमार पाण्डेय	म0सं0—60 रामनगर, थाना बड़ागांव, पिण्डरा, वाराणसी।	सदस्य	समाजसेवा	9755046000
7.	श्री विवान राजहंस पुत्र श्री नीरज राजहंस	प्लाट नं0—1 गणेशनगर कालोनी, गणेशपुर तरना शिवपुर, वाराणसी।	सदस्य	समाजसेवा	7309440000

सत्य—प्रतिलिपि

दिनांक..........................

हस्ताक्षर........................

सत्य प्रतिलिपि

12/05/026

प्रतिलिपि कर्ता.........

मिलान कर्ता.........

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP33519357821255Y

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP33519357821255Y
Certificate Issued Date	:	28-Apr-2026 07:38 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14163504/ VARANASI SADAR/ UP-VNS
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1416350462025625754094Y
Purchased by	:	SAHAYAK NIBANDHAK FIRM SOCIETY AND CHITS VARANASI
Description of Document	:	Article 24 Copy or Extract
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	SAHAYAK NIBANDHAK FIRM SOCIETY AND CHITS VARANASI
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	SAHAYAK NIBANDHAK FIRM SOCIETY AND CHITS VARANASI
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

Serial No. 4836
Name-R.K. Srivastava
CC Code:UP 14163504
Add. Tehsil Sadar Varanasi
Licence No. 106/163/188
Signature

Please write or type below this line

यह जनरल स्टाम्प पेपर संस्था माइक्रोटेक एजुकेशनल सोसाइटी
जिला वाराणसी फाइल नं0 V-23280
के साथ संलग्न है।
साधारणसभा वर्ष 2026-27

इस सूची की शुद्धता की जाँच की धारा 4ख के अन्तर्गत नही गयी है। चुनाव समेत अन्य कार्यवाहियों हेतु सुची मान्य नही हैं। प्रपत्र सो0रजि0अधि0 1860 की धारा 19 के अन्तर्गत प्रदान किये जा रहे है।

कार्यालय सहायक निबन्धक
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स,
वाराणसी
13/05/026

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

माइक्रोटेक एजुकेशनल सोसाइटी,

गणेशपुर तरना, जिला वाराणसी उ0प्र0—221003

साधारण सभा की सूची वर्ष :—2026—27

क्र.सं	नाम / पिता / पति का नाम	पता
1.	श्री नीरज राजहंस पुत्र श्री दिनेश मोहन राजहंस	गणेशपुर, तरना जिला— वाराणसी उ0प्र0—221003
2.	डॉ0 पंकज राजहंस पुत्र श्री दिनेश मोहन राजहंस	प्लाट नं0—1 गणेशनगर कालोनी, गणेशपुर तरना शिवपुर, वाराणसी।
3.	श्रीमती सीमा राजहंस पुत्र श्री नागेन्द्र झा	प्लाट नं0—1 गणेशनगर कालोनी, गणेशपुर तरना शिवपुर, वाराणसी।
4.	तान्य राजहंस पुत्री श्री नीरज राजहंस	प्लाट नं0—1 गणेशनगर कालोनी, गणेशपुर तरना शिवपुर, वाराणसी।
5.	श्रीमती बेली देवी पत्नी स्व0 देव नारायण झा	ग्राम हटिया, पोस्ट गाछी, जिला सहरसा, बिहार।
6.	श्री नागेन्द्र झा पुत्र स्व0 कालीकान्त झा	ग्राम हटिया, पोस्ट गाछी, जिला सहरसा, बिहार।
7.	श्री शारदा शंकर पाण्डेय पुत्र स्व0 रामधनी पाण्डेय	रामनगर, थाना बड़ागांव, पिण्डरा, वाराणसी।
8.	श्रीमती सोनू पाण्डेय पत्नी श्री सुधीर कुमार पाण्डेय	म0सं0—60 रामनगर, थाना बड़ागांव, पिण्डरा, वाराणसी।
9.	श्री जयमंगल सिंह पुत्र श्री राम सिंह	सी. 33 / 58 आर0बी0 चंदुआ छित्तूपुर, सिगरा, वाराणसी।
10.	श्री सुमित कुमार सिन्हा पुत्र श्री डुलडुल प्रसाद	सी. 33 / 278 ए 3, चंदुआ, छित्तूपुर, सिगरा, वाराणसी।
11.	श्री विवान राजहंस पुत्र श्री नीरज राजहंस	प्लाट नं0—1 गणेशनगर कालोनी, गणेशपुर तरना शिवपुर, वाराणसी।
12.	श्रीमती ममता पत्नी श्री मनोज कुमार	म0सं0—77 रामनगर, थाना बड़ागांव, पिण्डरा, वाराणसी।
13.	पूजा सिंह	गनपत नगर, वाराणसी।

इस सूची की शुद्धता की जाँच की धारा ... के अन्तर्गत नही गयी है। ... हेतु सूची ... सो0रजि0अधि0 1860 की धारा 19 के अन्तर्गत प्रदान किये जा रहे है।

सत्य—प्रतिलिपि

कार्यालय सहायक निबन्धक
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स,
वाराणसी

दिनांक .... हस्ताक्षर........................

13/05/26

प्रतिलिपि कर्ता..........
मिलान कर्ता..........

INDIA NON JUDICIAL

IN-UP33385714760007Y

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP33385714760007Y
Certificate Issued Date	:	28-Apr-2026 05:56 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14163504/ VARANASI SADAR/ UP-VNS
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14163504617671743822 39Y
Purchased by	:	SAHAYAK NIBANDHAK FIRM SOCIETY AND CHITS VARANASI
Description of Document	:	Article 24 Copy or Extract
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	SAHAYAK NIBANDHAK FIRM SOCIETY AND CHITS VARANASI
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	SAHAYAK NIBANDHAK FIRM SOCIETY AND CHITS VARANASI
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

Serial No. M828
Name-R.K. Srivastava
CC Code:UP 14163504
Acc Add. Tehsil Sadar Varanasi
Licence No. 106/163/188
Signature.........

IN-UP33385714760007Y

Please write or type below this line

यह जनरल स्टाम्प पेपर संस्था माइक्रोटेक एजुकेशन सोसाइटी
जिला वाराणसी फाइल नं० V-23280
संशोधित स्मृतिपत्र के साथ संलग्न है।

सहायक निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स वाराणसी क्षेत्र वाराणसी
सत्यमेव जयते

कृते सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी
07/5/026

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

380

संशोधित स्मृति–पत्र

1. संस्था का नाम : **माइक्रोटेक एजुकेशन सोसाइटी।**
2. संस्था का पता : **गणेशपुर, तरना, जिला वाराणसी।** उ0प्र0–221003
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत।
4. संस्था का उद्देश्य : संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे–

1. जन साधारण के शैक्षणिक विकास हेतु प्रोफेशनल एवं वोकेशनल, चिकित्सा/जैसे प्रौद्योगिक, शिक्षा एवं अभियंत्रिकी विज्ञान जैसे विषयों पर शिक्षा उपलब्ध कराना एवं अध्ययन के क्षेत्र में जन साधारण को उचित मार्गदर्शन प्रदान करना।
2. कार्य क्षेत्र के निवासियों विशेष कमजोर वर्ग के लोगों का गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों को सर्वांगींण विकास सम्बन्धित कार्यक्रमों का संयोजन तथा संचालन करना।
3. जन साधारण के शैक्षणिक विकास हेतु नर्सरी/प्राईमरी/जूनियर हाईस्कूल/ इण्टरमीडिएट/ 10+2 यू0पी0 बोर्ड/सी0बी0एस0ई0 से मान्यता प्राप्त आदि विद्यालयों की स्थापना करना एवं स्नातक /स्नातकोत्तर/पोलिटेक्निक/ इंजीनियरिंग कालेज/ मेडिकल कालेज / स्टेट–यूनिवर्सिटी/ यू.जी.सी./ ए0आई0सी0टी0ई0/एम0सी0आई0/सी0सी0आई0एम0 /आयुष/विश्वविद्यालय/रेग्यूलर /वर्चुअल/कौशल विकास विश्वविद्यालय आदि जैसे संघीय निकायों को केन्द्रिय/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त कर संस्थाओं की स्थापना करना तथा उसे सुचारू रूप से संचालित करना एवं विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए रेगुलर एवं दुरस्थ शिक्षा के माध्यम से सर्टिफिकेट डिप्लोमा स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को संचालित करना।
4. अहिंसा तथा दोषमुक्त समाज की रचना करना, आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न करने हेतु हर सम्भव प्रयास करना।

सहायक निबन्धक फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स वाराणसी क्षेत्र वाराणसी सत्यमेव जयते

सत्य प्रतिलिपि
सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

SK.V 07/5/021

प्रतिलिपि कर्ता SK.V
मिलान कर्ता

379

5. बेरोजगार युवकों हेतु कौशल एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना एवं जो भी अभ्यर्थी नौकरी करना चाहते हो उन्हें नौकरी दिलाने का कार्य करना तथा जो उद्यमी बनना चाहते है उन्हे मदद करना।
6. गरीब एवं असहाय विद्यार्थी एवं अभ्यर्थियों के निशुल्क शिक्षण–प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। सोसाइटी में पंजीकृत गरीब विद्यार्थी एवं अभ्यर्थियों एवं कर्मचारियों को रहने के लिए हास्टल एवं खाने के लिए मेस का स्थापना करना एवं ड्रेस तथा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध कराना तथा उनके स्वास्थ्य के लिए मेडिकल एवं सेनेटाइजिंग की समय–समय पर व्यवस्था करना।
7. अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं, पुरूषों एवं बच्चों की सर्वांगीण विकास हेतु योजनाए बनाकर उन्हें क्रियान्वित करना।
8. संस्था के कार्यक्षेत्र में केन्द्रिय एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण, पी0एम0के0वाई0, डी0डी0यू0जी0के0वाई0, एन0एस0डी0सी0, कमार्ट, नाबार्ड, अवार्ड, सूडा, सिप्सा, नेहरू रोजगार योजना, जवाहार रोजगार योजना आदि एवं डी0आर0डी0ए0 वृक्षारोपण प्रदूषण नियत्रंण तथा अन्य सभी केन्द्र व राज्य सरकारी योजनाओं का भी संचालन करना।
9. ग्रामीण विकास के लिए गाव की सड़कें नाली, ग्रामीण शौचालय, पेय जल, बिजली की निर्माण, एवं व्यवस्था करने का प्रयास करना।
10. कृषकों के कृषि विकास हेतु कृषक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा कृषि महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की स्थापना करना।
11. जनसंख्या वृद्धि एवं एड्स बचाव के लिए जनसमूदाय का समूचित जानकारी देना और प्रचार–प्रसार करना और निशुल्क संसाधन उपलब्ध कराना।
12. प्राकृतिक संशाधनों का विकास करना एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना करते हुये ग्रामीणों को रोजगार करने हेतु उत्साहित करना।
13. पर्यावरण की रक्षा के लिए वृक्षारोपण करना तथा वृक्षों का रख–रखाव करना
14. नशावृत्ति में फशे युवकों के लिए नशामुक्ति अभियान चलाना तथा नशामुक्ति केन्द्रों की स्थापना करना।
15. वृद्धाओं एवं विधवाओं के कल्याण के लिए कल्याणकारी योजनायें तैयार कर उसे क्रियानवित करना तथा वृद्धाआश्रम व विधवा आश्रम की व्यवस्था करना।

सत्य प्रतिलिपि
सहायक निबन्धक
फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता

(378)

16. दहेज प्रथा उन्मूलन, बाल विवाह उन्मूलन पर कार्यक्रम तैयार कर उसे क्रियान्वित करना।

17. सिचाई के विभिन्न प्रकार के संसाधनों को कृषि क्षेत्रों में उपलब्ध कराने का प्रयास करना।

18. विकलांगों के लिए विकलांग विद्यालय, आवासीय विद्यालय की व्यवस्था करना तथा उसके पुनर्वास के लिए कृत्रिम अंगों व निशुल्क उपकरण उपलब्ध करना।

19. अशिक्षित महिलाओं को शिक्षा के प्रति प्रेरित करना।

20. विभिन्न प्रकार के रोगों के निदान के लिए निशुल्क चिकित्सालय की व्यवस्था करना।

21. दैविय आपदाओं के समय जनता की हर सम्भव मदद करना।

22. बालक–बालिकाओं, यूवक–युवतियां के विकास, उत्थान व स्वावलम्बी हेतु कम्प्यूटर, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, कताई एवं सभी पेन्टिग, टाईपिंग, आशुलिपि आदि की शिक्षण–प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

23. ग्रामीण पुर्ननिर्माण हेतु सेनिटेशन, जलापुर्ति, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्राम्य उत्थान सम्बन्धित अन्य सभी कार्यो को करने की व्यवस्था करना।

24. किसानों के कृषि हेतु उपयोगी वस्तुएं एवं आधुनिक कृषि यन्त्रों की निःशुल्क जानकारी करना।

25. खाद्य प्रसंस्करण एवं गृह प्रबन्ध हेतु बालिकाओं एवं महिलाओं को विशेष रूप से प्रशिक्षित करना।

26. जनसमुदाय को भयंकर बीमारियों जैसे– कैंसर, हेपेटाइटिस बी., एड्स, तपेछित, मोतियाबिन्द, पल्स पोलियों टीकाकरण एवं करोना वायरस के बारे में जानकारी प्रदान करना।

27. विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आयोजित स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन व संचालन करना।

28. बाल श्रमिक एवं बंधुआ मजदुर जैसी समस्याओं के निवारण हेतु सेमिनार अनुसंधान अथवा शोध एवं मीडिया के माध्यम से जन–मानस को जागरूक करना।

सत्य प्रतिलिपि
डिप्टी सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता

377

29. जन समुदाय के स्वास्थ्य सुधार हेतु स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करना, शिविर लगाना, परिवार नियोजन एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाना तथा स्वास्थ संबंधि शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार करना।
30. खेलकूद कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा उसके लिए क्रिडास्थल की व्यवस्था करना।
31. समाज से तिरस्कृत महिलाओं, परित्यक्तता, बलात्कार, पीडित बेराजगार, महिलाओं एवं विधवाओं के विकासोत्थान के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं तैयार कर उसे क्रियान्वित करना तथा उनके लिए परामर्श केन्द्र की स्थापना, डे–केयर, शार्ट स्टे होम की व्यवस्था करना।
32. तकनीकी तथा प्राविधिक शिक्षा हेतु नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना करना एवं उसे संचालित करना तथा विश्वस्तरीय शिक्षण संस्थाओं से टाई–अप कर पूरे देश में विश्वस्तरीय शिक्षा का प्रचार–प्रसार एवं छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि वो स्वरोजगार/रोजगार प्राप्त कर समाज एवं परिवार के विकास को गति प्रदान कर सके साथ ही साथ इन कार्यों से अर्जित आय को सोसाइटी के द्वारा उपयोग केवल ऐसे शैक्षणिक संस्थानों को दान अथवा वित्तीय सहायता देने के लिए किया जायेगा जो कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त एवं आयकर विभाग भारत सरकार में पंजीकृत हो।
33. मानवाधिकार से संबंधित कार्य करना।
34. उपभोक्ता के लिए सही मार्ग दर्शन देना, एवं उनके लिए शिविर लगाकर जागरूक करना एवं प्रशिक्षण देना।
35. संस्था के लिए दान एवं अनुदान व केन्द्रीय एवं राज्य सरकार की सरकारी/अर्द्धसरकारी वित्तीय संस्थानों, एन.एस.डी.सी., यू.जी.सी., एवं अन्य सभी बैंकों से ऋण प्राप्त करना जो कि संस्था के हित के लिए होगा।
36. संस्था को ऋण देने वाली बैकों तथा एन.एस.डी.सी. जैसी संस्था को अधिकार होगा की अगर संस्था लोन चुक्ता नहीं करा पाये तो वह अपने किसी भी अधिकारी को संस्था में डायरेक्टर पद पर नियुक्ति कर सकते है।
37. संस्था की आय का उपयोग केवल ऐसे शैक्षणिक संस्थानों को दान या वित्तीय सहायता देने के लिये किया जायेगा जो विधिक रूप से मान्यता प्राप्त व आयकर विभाग से पंजीकृत हो।

सत्य प्रतिलिपि
सहायक निबन्धक
फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP33005955786560Y

सत्यमेव जयते

e-Stamp

Certificate No.	:	**IN-UP33005955786560Y**
Certificate Issued Date	:	28-Apr-2026 04:02 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14163504/ VARANASI SADAR/ UP-VNS
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14163504610230289324O9Y
Purchased by	:	SAHAYAK NIBANDHAK FIRM SOCIETY AND CHITS VARANASI
Description of Document	:	Article 24 Copy or Extract
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	SAHAYAK NIBANDHAK FIRM SOCIETY AND CHITS VARANASI
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	SAHAYAK NIBANDHAK FIRM SOCIETY AND CHITS VARANASI
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

Serial No. 4853

Name-R.K. Srivastava

CC Code:UP 14163504

Acc Add. Tehsil Sadar Varanasi

Licence No. 106/163/188

Signature

IN-UP33005955786560Y

Please write or type below this line

यह जनरल स्टाम्प पेपर संस्था माइक्रोटेक एजुकेशन सोसाइटी जिला वाराणसी फाइल नं० V-23280 संशोधित नियमावली के साथ संलग्न है।

सहायक निबन्धक सोसाइटी उ०प्र० वाराणसी क्षेत्र वाराणसी

सत्यमेव जयते

कृते सहायक निबन्धक

फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

वाराणसी

07/5/2026

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम : माइक्रोटेक एजुकेशन सोसाइटी।
2. संस्था का पता : गणेशपुर, तरना, जिला वाराणसी।
   उ0प्र0–221003
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत।
4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्गः–

वह भारतीय नागरिक जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, संस्था के प्रति उद्दश्यों के प्रति निष्ठा रखता हो, संस्था के उद्देश्यों के प्रति आश्वासन हो, सदस्यता ग्रहण कर सकता है, उनकी सदस्यता निम्नवत होगी :–

आजीवन सदस्यः– वे व्यक्ति जो संस्था को 5000/– नगद धनराशि या उससे अधिक मूल्य की चल अचल सम्पत्ति एक बार में देगें वे संस्था के आजीवन सदस्य माने जायेगें।

सामान्य सदस्यः– वे व्यक्ति जो संस्था को 500/–रूपया वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में जमा करेगा। वे संस्था के सामान्य सदस्य माने जायेगें।

विशिष्ट सदस्यः– वह समाज का सम्मानित व्यक्ति हो जो संस्था को सुचारू संचालित करने हेतु विशेष योगदान देवेंगे, संस्था के कार्यकारिणी समिति द्वारा विशिष्ट सदस्य मनोनित कर दिए जायेंगे।

नोटः– 1. प्रबन्ध समिति इस नियम को शिविल भी कर सकती है तथा सदस्य बनने के इच्छुक व्यक्ति की भावनाओं को परीक्षण कर उन्हें सदस्य बनने की स्वीकृति दे सकती है।

2. सदस्यता के लिये लिखित आवेदन पत्र देने तथा कार्यकारिणी समिति द्वारा उसके स्वीकृत होने पर।

सत्य प्रतिलिपि
सहायक निबन्धक
फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता

374

5. सदस्यता की समाप्ति– निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर संस्था की सदस्यता समाप्त समझी जायेगी–

1. अवधि समार्पित के एक माह के अन्दर सदस्यता शुल्क अदा न करने पर।
2. पागल या दिवालिया घोषित होने पर तथा किसी प्रकार नैतिक या वैयक्तिक अपराध पर न्यायालय द्वारा दण्डित हो जाने पर।
3. बिना सूचना लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने, संस्था के हित के विरूद्ध कार्य करने पर।
4. त्याग पत्र देने और कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत किये जाने पर।
5. मृत्यु हो जाने पर।

6 संस्था के अंग– **संस्था के दो अंग होंगे–**

(अ) साधारण सभा (आम सभा)

(ब) कार्यकारिणी समिति (प्रबन्धकारिणी समिति)

7. साधारण सभा–

(अ) गठनः– संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर नियमावली के कालम नम्बर चार के अनुसार साधारण सभा का गठन किया जायेगा, जिसमें आजीवन सदस्य, सामान्य सदस्य एवं विशिष्ट सदस्य होंगे।

(ब) बैठकः– साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम एक बार तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय अध्यक्ष की अनुपस्थिति में महासचिव द्वारा बुलाई जा सकती है।

(स) सूचना अवधिः– साधारण सभा के सामान्य बैठक की सूचना बैठक से 15 दिन पूर्व तथा विशेष आवश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व सभी सदस्यों को दी जायेगी।

1. संस्था के सभी सदस्यों के पास नोटिस प्रतियाँ घुमवाकर तथा ऐसी नोटिस तथा सूचना की प्राप्ति के प्रमाण पत्र स्वरूप सदस्यों का हस्ताक्षर प्राप्त करना।

सत्य प्रतिलिपि
सहायक निबन्धक
फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

प्रतिलिपि कर्ता...
मिलान कर्ता...

973

2. डाक द्वारा प्रमाण पत्र के अन्तर्गत नोटिस भेजकर।

(छः) गणपूर्तिः– कैलेंडर वर्ष की 31 जनवरी को संस्था के रोल पर दर्ज कुल सदस्यों के कम से कम दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति में सभी बैठकों की गणपूर्ति मानी जायेगी। कोरम के अभाव में स्थगित बैठक के लिये कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

(य) वार्षिक अधिवेशनः–

संस्था को वार्षिक अधिवेशन हर वर्ष 2 अक्टूबर के दिन संस्था के कापलिंग पर मनाई जायेगी।

(र) साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्यः–

1. वार्षिक बैठक में विगत वर्ष का लेख प्रस्तुत करना एवं उसका अनुमोदन करना।
2. आगामी वर्ष का कार्यक्रम एवं बजट का निर्धारण करना।
3. कार्यकारिणी समिति और उसके पदाधिकारियों का चयन करना।
4. संस्था के हित में अन्य कार्यक्रमों का निर्धारण करना।
5. संस्था के समय–समय पर होने वाली यथा आवश्यक अनुदान सीमा चढ़ाने और उसके अनुसार हाईपोफिकेशन तथा इक्वीटेबुल मार्गेज की कार्यवाही में वृद्धि/परिवर्तन करना।
6. खादी ग्रामोद्योग आयोग अथवा राज्य बोर्ड की निधि सुरक्षा हेतु उक्त कार्यवाही निष्पादित कर आयोग से ऋण प्राप्त करना।
7. यदि अक्षरों को ऐसे लगे कि महासचिव विषय के अन्तर्गत अपेक्षित आम सभा की बैठक बुलाने में किसी वैध कारण से असफल रहा है तो वह स्वयं बैठक बुला सकता है।

सत्य प्रतिलिपि
डिप्टी सहायक निबन्धक
फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

प्रतिलिपि कर्ता.......
[illegible] कर्ता.......

(372)

8. कुल सदस्य संख्या में से 3/5 वे भाग के सदस्यों द्वारा लिखित आवेदन पर महासचिव/अध्यक्ष आम सभा की बैठक बुलाने में असमर्थ होने पर उपस्थित स्वयं ऐसे सदस्य को बैठक का संयोजन बनाकर आपेक्षित बैठक बुला सकते है।

8.कार्यकारिणी समितिः—

(अ) गठन :— साधारण सभा के 2/3 बहुमत से कार्यकारिणी समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष के अलावा 4 सदस्य होगें। कुल मिलाकर 7 सदस्य होंगे।

(ब) बैठके :— कार्यकारिणी समिति के सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम 4 बार तथा विशेष आवश्यकतानुसार किसी भी समय की अनुमति से बुलाई जा सकती है।

(स) सूचना अवधि :— कार्यकारिणी समिति के सामान्य बैठक की सूचना से 21 दिन पूर्व सभी सदस्यों को लिखित रूप से दी जायेगी।

(द) गणपूर्ति :— कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों के कम से कम 2/3 उपस्थिति में सभी बैठकों की गणपूर्ति के अभाव में स्थगित बैठक के लिये कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

(य) रिक्त स्थानों की पूर्ति :— कार्यकारिणी समिति में किसी भी पदाधिकारियों अथवा सदस्य का स्थान रिक्त होने पर साधारण सभा के बहुमत से शेष अवधि के लिये साधारण सभा के सदस्यों में से किसी योग्य व्यक्ति का चुनाव कर लिया जायेगा।

(र) कार्यकारिणी समिति के कर्तव्य व अधिकारः—

1. कार्यकारिणी समिति की प्रस्तावित समस्त प्रवित्तयों का निर्धारण, क्रियान्वयन एवं निर्देशन करना।
2. संस्था अपने प्रवित्तयों में कच्चे माल के रूप में या विपणन में खादी ग्रामोद्योग द्वारा प्रसारित नियमों का पालन अवश्य करेगी।
3. कार्य संचालन की सुगमता के लिये उपसमितियों का गठन करना।

सत्य प्रतिलिपि
उप सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

प्रतिलिपि कर्ता......
मिलान कर्ता......

4. आय व्यय का रख–रखाव व वार्षिक हिसाब किताब तैयार करना।
5. संस्था के कार्यहित में हर प्रकार की वैधानिक कार्यवाही करना।
6. संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतन वृद्धि अनुशासन कार्यवाही एवं वितुविन के बारे में निर्णय करना।
7. साधारण सभा के लिए किये गये निर्णयों का सिहावलोकन कर उचित कार्यवाही करना।

(ल) <u>कार्यकाल</u> :– कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल सामान्य रूप से पाँच वर्ष का होगा।

9. कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों और उनके अधिकार एवं कर्तव्यः–

<u>अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्यः–</u>

1. साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति की अध्यक्षता करना। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों में से किसी को भी बैठक की अध्यक्षता के लिये चुना जा सकता है।
2. संस्था की समस्त प्रवृत्तियों पर दृष्टि रखना तथा उसका निर्देशन करना।

<u>महासचिव के अधिकार एवं कर्तव्यः–</u>

1. साधारण सभा एवं कार्यकारिणी समिति की बैठक को नियमानुसार आहूत तथा बैठक की कार्यवाही लिखना।
2. संस्था के प्रतिदिन के कार्य की देख रेख करना।
3. आम सभा द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति, निलम्बन तथा मुक्ति आदि करना। उसकी स्वीकृति कार्यकारिणी की आगामी बैठक में प्राप्त करना आवश्यक होगा।
4. संस्था के कार्य से सम्बन्धित समस्त कागजात रखवाना, समय–समय पर विभिन्न विभागों द्वारा मांगे गये प्रगति अहबाल भेजवाना, बैलेंसशीट तैयार करवाना, खादी ग्रामोद्योग का देनदार रहने तक प्रतिवर्ष अपने कार्य का प्रगति आलेख तथा आडिट बैलेंसशीट आयोग को देना।

सत्य प्रतिलिपि
डिप्टी सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

प्रतिलिपि कर्ता....
मिलान कर्ता....

370

5. संस्था के समस्त वैधानिक कागजात एवं दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना। महासचिव की अनुपस्थिति में प्रबन्धकारिणी समिति किसी भी व्यक्ति को यह फार्म सौंप सकती है।
6. प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा समय–समय पर प्रदत्त समस्त उत्तरदायित्वों का वहन करना।
7. संस्था द्वारा या संस्था के विरूद्ध किसी प्रकार की कानूनी अदालती कार्यवाही महासचिव के माध्यम से की जायेगी।
8. संस्था के लिये सरकारी एवं अर्द्धसरकारी खादी ग्रामोद्योग आयोग/बोर्ड के व्यक्तिगत प्रतिष्ठान एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से दान, अनुदान, चन्दा आदि प्राप्त करना।
9. संस्था के महासचिव को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह संस्था द्वारा संचालित संस्थानों से अपने मासिक वेतन का निर्धारण प्रबंध समिति की बैठक बुलाकर पास करा सकेंगे।

कोषाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्यः–

कोषाध्यक्ष का कार्य खाता बही का लिखना व उसका परीक्षण सी0ए0 करायेगा।

10. संस्था के विधान में संशोधन :–

इस संस्था के विधान में संशोधन एवं परिवर्तन साधारण सभा द्वारा इसी उद्देश्य से बुलायी गयी बैठक में 2/3 बहुमत से हो सकेगा। इसकी सूचना एवं पुष्टि के संबंध में निर्णय की सच्ची प्रतिलिपि रजिस्टार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स को एक सप्ताह के अन्दर भेजनी होगी।

11. संस्था का कोषः– संस्था का कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखा जायेगा, धनराशि जमा करने व निकालने का अधिकार केवल महासचिव एवं विशिष्ट सदस्य को होगा।

12. संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षणः–

संस्था के वित्तीय 1 अप्रैल से 31 मार्च वार्षिक आय व्यय का लेखा परीक्षण केवल महासचिव को होगा।

सत्य प्रतिलिपि
उप सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

प्रतिलिपि कर्ता........
मिलान कर्ता........

13. **संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही का उत्तरदायित्वः–**
संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध लगाये गये अदालती कार्यवाही के संचालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महासचिव पर होगा।

14. **संस्था के अभिलेखः–** संस्था के निम्नलिखित अभिलेख होगें।
1. कार्यवाही रजिस्टर
2. सदस्यता रजिस्टर
3. स्टाक रजिस्टर
4. कैश बुक आदि

15. **संस्था का विघटनः–** 1–यदि किसी कारण संस्था की गतिविधियाँ रूक गयी हो अथवा समाप्त की जानी हो तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 13 व 14 के अधीन विघटन की कार्यवाही होगी। इस हेतु प्रबन्ध समिति एक संकल्प आम सभा की सिफारिश करेगी जो बदलने में 30 दिन की लिखित नोटिस देने के पश्चात संस्था विघटित करने हेतु निर्णय विशेष रूप से आयोजित बैठक में तीन चौथाई सदस्यों की सहमति ले।
2–संस्था के विघटन पर इसकी कर्ज तथा देयताओं की संतुष्टि के पश्चात यदि कोई परिसम्पत्ति अथवा परिसम्पत्तियों चल अथवा अचल सम्पत्तियों जो कुछ बाकी बच जाती है संस्था तथा दानकर्ता/कर्ताओं के बीच सहमत किसी न्यायालयों से प्रभावित न हो उसे संस्था के सदस्यों अथवा उनमें से किसी को भी भुगतान अथवा वितरित नहीं किया जायेगा। अपितु इसे केन्द्रीय प्रमाण पत्र समिति के अनुमोदन से समान उद्देश्य वाली किसी दूसरी संस्था को विशेष रूप से आयोजित आम सभा की बैठक में उपस्थिति कम से कम तीन चौथाई सदस्यों के मतों अथवा इसके अभाव में जिले के मूल क्षेत्र के प्रधान न्यायालय द्वारा जिसमें संस्था का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, अवधारित किया जायेगा।

16. **सी0बी0एस0ई0 एवं आई0सी0एस0ई0 से मान्यता हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों का अनुपालन के सन्दर्भ में :–**

(क) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

सत्य प्रतिलिपि
उप सहायक निबन्धक
फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

प्रतिलिपि कर्ता......
मिलान कर्ता......

368

(ख) विद्यालय की प्रबन्धसमिति में राज्य सरकार के जिला स्तर के किसी अधिकारी को संस्था द्वारा सदस्य के रूप में नामित किया जायेगा।

(ग) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(घ) संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजुकेशन/ काउसिंल फार दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(ड़) संस्था के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगें।

(च) कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

(छ) राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें संस्था उसका पालन करेगी।

(ज) विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जा रही है तथा भविष्य में भी हिन्दी अनिवार्य रूप में पढ़ाई जायेगी।

(झ) विद्यालय का रिकार्ड प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

(ञ) उपर्युक्त क्रम (क) से (झ) में कोई परिवर्तन/संशोधन बिना शासन एवं विभाग के अनुमति के नहीं किया जायेगा।

सत्य-प्रतिलिपि

दिनांक.............. हस्ताक्षर......................

सत्य प्रतिलिपि

उप सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

07/5/0 76

प्रतिलिपि कर्ता.........
मिलान कर्ता.........